सं0 संख्या–5/आर0एल0–40–85/2018 श्र0स0–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग(श्रम पक्ष)

प्रेषक,

गोपाल मीणा
श्रमायुक्त बिहार।

सेवा में,

सभी उप श्रमायुक्त
सभी सहायक श्रमायुक्त
सभी श्रम अधीक्षक

पटना, दिनांक–

विषय– नवनियुक्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों की योगदान तिथि विस्तारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 96 अभ्यर्थियों को नियुक्त करते हुए उनका पदस्थापन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर विभिन्न अंचलों में कार्यालय आदेश सं0–6615 दि0–17.09.2018 द्वारा किया गया था एवं उन्हें 15 दिनों के अन्दर पदस्थापित कार्यालय/अंचल में योगदान देने का निदेश दिया गया था। चूँकि बड़ी संख्या में नवनियुक्त अभ्यर्थी अन्य विभागों में कार्यरत हैं, जिससे वहाँ से विरमित होकर आने में विलम्ब होने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा योगदान तिथि में विस्तार का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अतएव प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त योगदान तिथि में विस्तार करते हुए पदस्थापित अंचल में योगदान तिथि **दि0–31.10.2018** तक निर्धारित की जाती है। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विस्तारित तिथि तक निश्चित रूप से अपने पदस्थापित कार्यालय/अंचल में योगदान देना सुनिश्चित करें। अंतिम विस्तारित तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के अनुरोध पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–85/2018 7062 पटना, दिनांक– 11·10·18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/10/18
श्रमायुक्त, बिहार

Manikant ji-102